तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/एलआर/2007/7544/सवाई माधोपुर केदार वगैरह बनाम मोतीलाल वगैरह	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28/01/26	***एकल–पीठ*** **श्री केसर लाल मीणा, सदस्य** **उपस्थितिः** श्री मदनलाल गुर्जर, विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण। श्री अशोक अग्रवाल, विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या–1 **आदेश** 1– यह निगरानी अंतर्गत धारा–84 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत् न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, भरतपुर द्वारा अपील संख्या–43/2005 में पारित निर्णय दिनांक 19–02–2007 के विरूद्ध पेश की गई है। 2– निगरानी याचिका के अनुसार प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी संख्या–1 के पिता स्व0 मिश्रया का ग्राम बहरावंडा खुर्द में अवस्थित आराजी खसरा संख्या 2/19 रकबा 5 बीघा 9 बिस्वा, खसरा संख्या 460/4 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा एवं खसरा संख्या 460/6 रकबा 18 बिस्वा कुल 7 बीघा 15 बिस्वा सिवायचक भूमि पर पुराना कब्जा काश्त होने से उसे सन् 1972 में विवादित भूमि आवंटन की गई। आवंटन आदेश की पालना में प्रार्थी संख्या–1 के पिता मिश्रया के नाम बाद जांच नामांतकरण संख्या 335 दिनांक 29–11–1972 को प्रार्थीगण के पिता स्व0 मिश्रया के नाम गैर खातेदारी दर्ज कर दी गई। तहसीलदार, खण्डार द्वारा उक्त नामांतकरण संख्या 335 दिनांक 29–11–1972 के विरूद्ध 29 साल बाद न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सवाई माधोपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई जिसे दिनांक 27–03–2001 को निरस्त कर दिया। इससे असंतुष्ट होकर अप्रार्थी संख्या–1 ने अपील न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, भरतपुर के समक्ष पेश की जिन्होंने अपने आदेश दिनांक 19–02–2007 से अपील आंशिक स्वीकार कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को सहायक कलक्टर के द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 28–04–2006 के परिप्रेक्ष्य में पुनः विधिनुसार निर्णय पारित करने हेतु लौटा दिया गया। प्रार्थीगण ने उक्त निर्णय दिनांक 19–02–2007 से व्यथित होकर यह निगरानी याचिका मण्डल में पेश की है। 3– उभय पक्षों की बहस सुनी गई। दौराने बहस अधिवक्ता प्रार्थीगण ने निगरानी याचिका में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए जाहिर किया है कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने यह स्वीकार किया है कि दोनों ही पक्षकारान के मध्य विवादित भूमि के हक हकूकों को लेकर सहायक कलक्टर के न्यायालय में नियमित वाद निर्णित हो चुका है व सक्षम न्यायालय ने विवादित आराजी के हक हकूकों को लेकर निर्णय व डिक्री दिनांक 28–04–2006 को पारित कर अप्रार्थी संख्या–1 का वाद खारिज कर दिया है। ऐसी स्थिति में अप्रार्थी संख्या–1 की अपील खारिज करनी चाहिये थी, लेकिन उन्होंने निर्णय व डिक्री दिनांक 28–04–2006 के परिप्रेक्ष्य में पुनः निर्णय पारित करने का आदेश दिया है जो विधि विरूद्ध होकर न्याय, नियम व	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/एलआर/2007/7544/सवाई माधोपुर केदार वगैरह बनाम मोतीलाल वगैरह	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	रेकार्ड के विपरीत होकर निरस्तनीय है। जब अप्रार्थी संख्या–1 का नियमित वाद खारिज हो चुका था व नियमित वाद के निर्णय के अनुसार कार्यवाही होनी है तो अति0 संभागीय आयुक्त भरतपुर ज्यादा से ज्यादा वाद के निर्णय व डिक्री की पालना में कार्यवाही करने के निर्देश ही दे सकते थे। अप्रार्थी संख्या–1 की अपील को स्वीकार कर अति0 जिला कलक्टर सवाई माधोपुर के निर्णय दिनांक 27–03–2001 को निरस्त कर स्वीकार नहीं कर सकते थे। अतः प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाकर अति0 संभागीय आयुक्त, भरतपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 19–02–2007 को अपास्त किये जाने का अनुरोध किया गया। 4– अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या–1 ने इसके विरोध में निवेदन किया कि मिश्रा व सांवलिया दोनों भाई थे। मिश्रया के अकेले के नाम विवादित भूमि दर्ज हुई, जबकि दोनों भाई बराबर–बराबर काश्त करते थे तथा आपस में बंटवारा भी हो चुका था, परंतु नामांतकरण प्रार्थी के पिता द्वारा अपने अकेले के नाम दर्ज करवा लिया, जिसकी जानकारी होने पर अपील मय धारा–5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र सहित अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय में पेश की। सहायक कलक्टर के न्यायालय में दावा खारिज हो चुका है जिसकी अपील राजस्व अपील प्राधिकारी के न्यायालय में की जा चुकी है तथा अपील में स्टे जारी हो चुका है। तहसीलदार ने नामांतकरण दर्ज करते समय न तो आवंटन पत्रावली की आवश्यकता समझी और ना ही लगान जमा होने का रिकार्ड देखा, जबकि अप्रार्थी संयुक्त रूप से लगान जमा कराते चले आ रहे हे। इस प्रकार नामांतकरण दोनों के नाम होना चाहिये। नामांतकरण दर्ज करते समय अप्रार्थी को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। इस प्रकार अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने निर्णय दिनांक 27–03–2001 निरस्त कर प्रकरण अतिरिक्त जिला कलक्टर को निर्णय व डिक्री दिनांक 28–04–2006 के परिप्रेक्ष्य में पुनः निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया है जिसमें कोई विधि अथवा तथ्य संबंधी त्रुटि परिलक्षित नहीं होने से यह निगरानी याचिका खारिज किये जाने योग्य है। अतएव निगरानी याचिका सारहीन होने से खारिज की जाये। 5– उभय पक्षों की बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया, जिसके अनुसार विवादित आराजी सिवायचक भूमि थी, जिसका नामांतकरण संख्या 335 दिनांक 29–11–1972 को प्रार्थी के पिता मिश्रया के नाम गैर खातेदारी में दर्ज किया गया। उक्त नामांतकरण की अपील अतिरिक्त जिला कलक्टर के समक्ष पेश की थी जो खारिज हो गई। दिनांक 28–04–2006 के निर्णय द्वारा अप्रार्थी मोतीलाल का वाद खारिज हुआ तथा इसके विरूद्ध प्रस्तुत अपील भी दिनांक 23–04–2007 भी खारिज हुई है। चूंकि सक्षम न्यायालय ने विवादित आराजी को लेकर हक हकूकों पर अपना निर्णय पारित कर दिया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने प्रकरण पुनः सहायक कलक्टर, सवाई माधोपुर के द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 28–04–2006 के परिप्रेक्ष्य में पुनः गुणावगुण पर निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण प्रतिप्रेषित करने में कोई त्रुटि कारित नहीं की है। चूंकि निगरानी का दायरा अत्यंत	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/एलआर/2007/7544/सवाई माधोपुर केदार वगैरह बनाम मोतीलाल वगैरह	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	सीमित है तथा हस्तगत निगरानी में ऐसी कोई सारभूत त्रुटि दर्शित नहीं होती है जिसके द्वारा उक्त निर्णयों में हस्तक्षेप किया जा सके। अतएव हस्तगत निगरानी सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है। 6– परिणामतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी अंतर्गत धारा–84 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1984 सारहीन होने खारिज की जाती है। इस आदेश की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालयों का अभिलेख लौटाया जाये। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(केसर लाल मीणा)** **सदस्य**	